



Centre For e-Governance U.P.

1st Floor, Uptron Building, Near Gomti Barrage, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010

सेण्टर फॉर ई - गवर्नेन्स, उ. प्र. लखनऊ

प्रथम तल, अपट्रॉन बिल्डिंग, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ -226 010

फोन/फैक्स : 0522-2304706, ई-मेल : ceglko.up@gmail.com

Ref: No. CEG/P/9/15II/Temp/805/18
Date: 12-01-2018

सेवा में,

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,
एन.आई.सी.,
योजना भवन, लखनऊ

विषय: ऊर्जा विभाग की सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से गो-लाईव किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि ई-डिस्ट्रिक्ट योजना प्रदेश के 75 जनपदों में लागू की जा चुकी है जिसके अन्तर्गत कोई भी नागरिक जन सेवा केन्द्र/लोकवाणी केन्द्र/जन सुविधा केन्द्र/ई-सुविधा केन्द्र तथा इन्टरनेट के माध्यम से शासकीय सेवाओं को सरलता एवं सुगमतापूर्ण तरीके से प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा 16 विभागों की 137 शासकीय सेवायें जन सेवा केन्द्रों एवं ऑनलाइन माध्यम से आम जनमानस को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, **योजनान्तर्गत प्रदेश में दिनांक 01.08.2012 से अब तक लगभग 13.00 करोड़ आम जनमानस को लाभान्वित किया जा चुका है।** योजना की सफलता के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा अन्य सम्बन्धित विभागों की सेवाओं को बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है जिन्हे इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से आम जनमानस को सिंगल पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश सरकार प्रयासरत है।

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि "Digital Government Road Map for Electronic Delivery of Services (DGeDS)" पर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन महोदय के समक्ष हुयी ब्रेन स्टार्मिंग सेशन/चर्चा के क्रम में डिजीटल गवर्नेन्स रोड मैप फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज़ (डी.जी.ई.डी.एस) के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त विभागों की जी2सी, जी2बी, जी2जी, जी2ई सेवायें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदेश के आम जनमानस/व्यापारिक अधिष्ठान/विभागीय अधिकारी/कर्मचारी को उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा सर्वप्रथम जनहित गारण्टी एक्ट के अधीन आने वाली सेवाओं को प्रथम चरण में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराते हुए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके क्रम में जनहित गारण्टी एक्ट के अन्तर्गत वर्तमान में **34 विभागों की 224 सेवाओं** को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य परिलक्षित किया गया है।

उक्त के क्रम में ऊर्जा विभाग की निम्न 04 सेवाओं की टेस्टिंग पूर्ण कर ली गयी है जिनमें से 03 सेवायें (क्र0सं0-1 से 3) जनहित गारण्टी अधिनियम अन्तर्गत आच्छादित है एवं उक्त सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से गो-लाईव किया जाना है:-

क्र0सं0	विभाग	सेवा का नाम	
1.	ऊर्जा विभाग ग्रामीण	एन.एस.सी. पंजीकरण	NSC Registration
2.		मीटर रिप्लेसमेन्ट आवेदन	Meter Replacement Request
3.		बर्न्ट ट्रान्सफॉर्मर रिप्लेसमेन्ट आवेदन	Burnt Transformer Replacement Request
4.		भार वृद्धि आवेदन	Load Enhancement Request

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि ऊर्जा विभाग की उपरोक्त 04 सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से उपलब्ध कराये जाने हेतु यूज़र चार्ज तथा विभिन्न स्टैक होल्डर्स के मध्य अंश विभाजन शासनादेश सं०-11/78-2-2016-34आईटी/2010 दिनांक 04.02.2016 के अनुसार ही अनुमन्य होगा।

अतः ऊर्जा विभाग की उपरोक्त सेवाओं को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से गो-लाईव किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से ऊर्जा विभाग, शासन एवं इस कार्यालय को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,



(अभय)

राज्य समन्वयक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन।
3. विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पॉवर कॉरपोरेशन लि०, लखनऊ।
5. श्री संजय कुमार सिंह, निदेशक (वाणिज्य), उ०प्र० पॉवर कॉरपोरेशन लि०, लखनऊ।
6. श्री ए.पी. सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पॉवर कॉरपोरेशन लि०।

(अभय)

राज्य समन्वयक